27

समय का आबंटन और वक्ताओं का चयन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और सभा में कार्य की विभिन्न मदों के लिए समय के आबंटन और वक्ताओं के चयन की प्रक्रिया इसमें वर्णित है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों और प्रक्रिया नियमों तथा निर्णयों के अधीन समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा किये गये विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

समय का आबंटन और वक्ताओं का चयन

कार्य की मदों के लिए समय का आबंटन

कार्य मंत्रणा समिति का यह कृत्य है कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय के बंटवारे की सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सभा के नेता के परामर्श से निदेश दे। सरकारी समय के दौरान निपटाई जाने वाली कार्य की विभिन्न मदें समय के बंटवारे के लिए, प्रथा के अनुसार, कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखी जाती हैं। सरकार द्वारा इस बारे में दिये गए सुझावों पर समिति द्वारा विचार किया जाता है और समिति की सिफारिशों को अध्यक्ष अथवा समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, एक प्रतिवेदन के रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति के किसी सदस्य द्वारा, जो सामान्यतया संसदीय कार्य मंत्री होता है, प्रस्ताव पेश किये जाने पर तथा सभा द्वारा समिति की उन सिफारिशों से सहमत होने के पश्चात् कार्य की उन मदों के विषय में समय का बंटवारा ऐसे लागू होता है जैसे कि वह सभा का आदेश हो और इसे समाचार भाग–2 में अधिसूचित किया जाता है। समय के बंटवारे के आदेश में कोई परिवर्तन अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव किये जाने और उसके सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के अतिरिक्त नहीं किया जाता है। तथापि, अध्यक्ष, सभा का अभिप्राय जानकर कोई प्रस्ताव पेश किये बिना समय को एक घंटे से अधिक नहीं बढ़ा सकेगा।

1

2. गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का बंटवारा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की सिफारिशों पर किया जाता है।

3. सभा के कार्य को विनियमित करने के लिए कार्य की किसी मद के आबंटित समय को विभिन्न दलों/ग्रुपों में, सभा में उनकी संख्या के अनुसार, बांट दिया जाता है।

सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका

4. जो सदस्य सभा में वाद-विवाद अथवा चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा से अध्यक्ष को सूचित करना चाहता/चाहती है, वह निम्नलिखित तीन विधियों में से कोई एक विधि अपना सकता/सकती है:—

(एक) वह अपने संसदीय दल अथवा ग्रुप के माध्यम से अध्यक्ष को अपना नाम दे सकता/सकती है।

सभी महत्वपूर्ण संसदीय वाद-विवादों में, प्रत्येक दल अथवा ग्रुप, अध्यक्ष को एक सूची भेजता है, जिसमें उन सदस्यों के नाम होते हैं जो उन वाद-विवादों में उनके प्रवक्ता होंगे। सदस्यों को बोलने के लिए पुकारते समय अध्यक्ष ऐसी सूचियों पर यथोचित ध्यान देते हैं किन्तु अध्यक्ष इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह उसी सूची के अनुसार अथवा सूची में दिये गये क्रम के अनुसार ही सदस्यों को पुकारे।

(दो) सदस्य अपने संसदीय दल अथवा ग्रुप के माध्यम के बिना भी अपना नाम सीधे अध्यक्ष को दे सकता/सकती है।

सदस्य, अध्यक्ष अथवा महासचिव को सीधे लिख सकता/सकती है कि वह वाद-विवाद में भाग लेना चाहता/चाहती है।

(तीन) वह अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कर सकता/सकती है।

यदि कोई सदस्य उपर्युक्त (एक) अथवा (दो) में उल्लिखित प्रक्रिया को न अपनाना चाहे, किन्तु अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करने की सुप्रचलित संसदीय पद्धति का आश्रय लेना चाहे, तो वह जब वाद-विवाद में भाग लेने का इच्छुक हो तो अपने स्थान पर खड़ा हो सकता/खड़ी हो सकती है।

वक्ताओं की सूची तैयार करना

5. किसी वाद-विवाद अथवा चर्चा विशेष के लिए वक्ताओं की सूची तैयार करने हेतु विभिन्न दलों/ग्रुपों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा जाता है और उन दलों/ग्रुपों में समय का बंटवारा सभा में उनकी सदस्य-संख्या के आधार पर किया जाता है:—

बड़े दल/ग्रुप	—	सभा में जिनकी सदस्य संख्या 15 अथवा इससे अधिक है।
मध्यम ग्रुप	—	जिनकी संख्या 5 और 14 के बीच है।
छोटे ग्रुप	—	जिनकी सदस्य संख्या 2 और 4 के बीच है।
असंबद्ध/निर्दलीय/ एकल दल/ नाम-निर्देशित सदस्य	—	व्यक्तिगत सदस्यों का ग्रुप

अध्यक्ष की जानकारी तथा विचार के लिए बोलने के इच्छुक सदस्यों की, और जिन्होंने सीधे अथवा अपने दल/ग्रुप के माध्यम से अग्रिम अनुरोध किया है, दल-वार सूची तैयार की जाती है।

बोलने के लिए बुलाये जाने वाले सदस्यों का चयन

6. अध्यक्ष को वाद-विवाद का विनियमन करने तथा वाद-विवाद में भाग लेने के लिए सदस्यों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी सदस्य इस बात के लिए आग्रह नहीं कर सकता/सकती कि उसे अवश्य बोलने का अवसर दिया जाए। प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए अवसर प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना होता है, चाहे उसने अध्यक्ष को अग्रिम रूप से लिखा हो अथवा अपना नाम अपने दल अथवा ग्रुप के माध्यम से भेजा हो।

7. अध्यक्ष जिस क्रम में सदस्यों को बोलने हेतु बुलाएंगे/बुलाएंगी, उसका निर्धारण वह स्वयं करते/करती हैं। कोई सदस्य यह नहीं कह सकता/सकती कि उसे अमुक क्रम से बुलाया जाए। सदस्यों के चयन हेतु संसदीय दलों अथवा ग्रुपों के सचेतकों द्वारा अध्यक्ष को वक्ताओं की सूचियां दी जाती हैं ताकि एक सुविनियमित तथा संतुलित वाद-विवाद सुनिश्चित किया जा सके।

[लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 287-292 और अध्यक्ष के निदेशों का निदेश 115-क]